राजस्थान में अल्पसंख्यक : योजनाएं, बजट एवं सरकार से मांगें

संक्षिप्त - प्रपत्र

भूमिका

भारत एक लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष देश है। भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गयी है। देश में धर्म, भाषा, संस्कृति को अपनाने वाले लोगों की संख्या के आधार पर बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बात की जाए तो देश में हिन्दू धर्म बहुसंख्यक वर्ग है, और अन्य सभी धर्मों के लोग अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 2(सी) के अनुसार मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी के लगभग 80 प्रतिशत लोग हिन्दू धर्म से हैं, 14.2 प्रतिशत लोग मुस्लिम, और 2.3 प्रतिशत, 1.72 प्रतिशत, 0.7 प्रतिशत एवं 0.37 प्रतिशत लोग क्रमश : ईसाई, सिक्ख, बौद्ध एवं जैन धर्म से हैं।

राजस्थान में अल्पसंख्यकों की स्थिति :

राजस्थान की जनसंख्या (वर्ष 2011) 6.85 करोड़ है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या लगभग 11.41 प्रतिशत अर्थात् 78.18 लाख हैं। राज्य में मुस्लिम 62.15 लाख (9.07 प्रतिशत) हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 6.14 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 17.91 प्रतिशत मुस्लिम निवास करते हैं।

मुस्लिम समुदाय एवं शिक्षा : 2001 व 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों में साक्षरता दर औसत से कम है और महिलाओं में तो स्थिति काफी चिंताजनक है। राज्य में मुस्लिम समुदाय में 2001 में साक्षरता दर 56.6 प्रतिशत थी जबकि राज्य की औसत साक्षरता 60.4 प्रतिशत थी। 2001 में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर 40 प्रतिशत थी, जबकि राज्य में महिला साक्षरता दर 43.9 प्रतिशत थी। 2011 के साक्षरता के आंकड़े धार्मिक समूहवार उपलब्ध नहीं हैं।

तालिका–1 : मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर (प्रतिशत में)

साक्षरता दर	2001				2011	
	भारत		राजस्थान		भारत	
	समस्त वर्ग	मुस्लिम	समस्त वर्ग	मुस्लिम	समस्त वर्ग	मुस्लिम
साक्षरता दर (सम्पूर्ण)	64.83	59.1	60.4	56.6	74.04	68.5
साक्षरता दर (पुरुष)	75.26	67.6	75.7	71.4	82.14	74.7
साक्षरता दर (महिला)	53.67	50.1	43.9	40.8	65.56	62

स्रोत : जनगणना–2001 व 2011

राष्ट्रीय तथा राज्य के औसत लिंगानुपात की तुलना में मुस्लिम समुदाय में लिंगानुपात काफी बेहतर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर सभी वर्गों में लिंगानुपात 943 है जबकि मुस्लिम समुदाय में यह 951 है। राजस्थान में 2001 के आकड़ों के अनुसार मुस्लिम समुदाय में लिंगानुपात 929 जबकि राज्य औसत में यह 921 था।

तालिका–2 : राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय में ड्रॉपआउट दर
(प्रतिशत में)

स्तर	2013–14			2014–15		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
माध्यमिक	24.06	23.27	23.66	24.71	23.58	24.12
उच्च माध्यमिक	6.40	4.00	5.19	8.55	6.29	7.40

स्रोतः श्रीमती किरण खेर द्वारा लोकसभा में दिनांक 27 / 12 / 2017 को पूछे गये प्रश्न संख्या–1472 के जबाब में श्री मुख्तार अब्बास नकवी (मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े : http%//**164-100-47-190**/loksabhaquestions/annex/**13**/AU**1472**-pdf

मुस्लिम समुदाय में पढ़ाई बीच में छोड़ देना एक गंभीर समस्या है। तालिका–2 में दिए हुए आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लड़के और लड़कियाँ दोनों ही बड़े स्तर पर पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। 2013–14 से 2014–15 के बीच माध्यमिक स्तर पर कुल ड्रॉपआउट 23.66 प्रतिशत से बढ़कर 24.12 प्रतिशत हो गया है। इससे जाहिर है कि उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष व महिलाओं का नामांकन दूसरे वर्गों की अपेक्षा काफी

कम है। तालिका–3 में दिए गये आंकड़े बताते हैं कि राज्य में उच्च शिक्षा में हुए सभी नामांकन में मुसलमानों की भागीदारी केवल 1.68 प्रतिशत है।

तालिका–3 : राजस्थान में उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यकों का नामांकन 2015–16

	समस्त वर्ग			मुस्लिम समुदाय			कुल नामांकन में मुस्लिम समुदाय का प्रतिशत		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
राजस्थान	992153	969307	1961460	19657	13301	32958	1.98	1.37	1.68

स्रोत : उच्चतर शिक्षा संबधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण, 2015–16

राजस्थान में अल्पसंख्यक विभाग के कार्यक्रम एवं बजट :

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया गया। इस विभाग का गठन अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, उनकी समस्याओं और शिकायतों के समाधान हेतु किया गया। वर्ष 2018–19 के बजट में अल्पसंख्यक विभाग के लिए आवंटित बजट 180 करोड़ रूपये है जो राज्य के कुल बजट का मात्र 0.085 प्रतिशत है। हांलाकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष (2018–19) में इस विभाग के बजट में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका– 4 : राजस्थान में अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनायें तथा उनका बजट (करोड़ रु. में)

योजनायें	(बजट अनुमान) 2017–18	(संशोधित अनुमान) 2017–18	(बजट अनुमान) 2018–19
अल्पसंख्यक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP)	56.49	56.49	62.13
मदरसा स्कूल	73.35	68.35	80.19
मदरसा बोर्ड	1.90	1.90	2.09
अल्पसंख्यक बालक एवं बालिकाओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	45.21	45.21	45.21
अल्पसंख्यक छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृति	0.15	0.15	0.17
अल्पसंख्यक छात्रों को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृति	0.08	0.08	0.09
अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अनुप्रति योजना	0.30	0.04	0.30
अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास भवन	6.63	3.13	5.84
अल्पसंख्यक बालक छात्रावासों का संचालन	2.86	2.09	2.39
अल्पसंख्यक क्षेत्रों में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान् (ITI) की स्थापना	24.36	22.49	16.92

स्रोत : बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

तालिका– 4 में राज्य में अल्पसंख्यकों के लिये संचालित विभिन्न योजनाओं के लिये आंवटित बजट के आंकड़े दिये गये हैं। जैसाकि देखा जा सकता है, ज्यादातर योजनाओं के बजट में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन छात्रावास और औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के बजट में कटौती हुई है।

तालिका: 5 : राजस्थान में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु निधि का आवंटन (करोड़ रू. में)

राज्य	12वीं योजना के दौरान	
	जारी निधियां	सूचित उपयोग
राजस्थान	97.21	47.02 (48.37 प्रतिशत)

स्रोत : श्री बदरुद्दीन अजमल द्वारा लोकसभा में दिनांक 03/01/2018 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–2641 के जबाब में श्री मुख्तार अब्बास नकवी (मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े : http%//**164-100-47-190**/loksabhaquestions/qhindi/**13**/AU**2641**-pdf

अल्पसंख्यक विभाग का बजट बहुत कम है लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी समस्या विभाग को उपलब्ध बजट का पूरा उपयोग नहीं होना भी है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान राज्य को अल्पसंख्यक कल्याण के लिये दिये गये कुल बजट का 47 प्रतिशत ही उपयोग हो सका। विभाग द्वारा उपलब्ध बजट का उपयोग नहीं हो पाने का एक बड़ा कारण इस विभाग में स्वीकृत पदों का रिक्त होना भी है, जिससे विभाग के बजट उपयोग पर प्रभाव पड़ता है।

तालिका: 6 : अल्पसंख्यक विभाग में विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों की स्थिति

विभाग	सृजित पद	रिक्त पद
निदेशालय स्तर	61	13 (21)
जिला स्तर (समस्त 33 जिले)	305	110 (36)
मदरसा बोर्ड	35	15 (43)
मदरसों में शिक्षा सहयोगी	8619	2497(29)
कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी	3000	2653 (88)
अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम	22	18 (82)
कुल पद	12042	5306 (44)

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, 2016–17
नोट : ( ) में रिक्त पदों का प्रतिशत है।

तालिका–6 में दिए गये आंकड़े बताते हैं कि अल्पसंख्यकों से जुड़े विभिन्न विभागों में करीब 44 प्रतिशत पद रिक्त हैं।

अल्पसंख्यक विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रम

प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम : प्रधानमंत्री पंद्रह सूत्री कार्यक्रम अन्य मंत्रालयों की कई योजनाओं को शामिल करते हुए एक

व्यापक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य यह है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस कार्यक्रम में निम्न बिन्दु शामिल हैं।

- **शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना** – (1) एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता। (2) विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना। (3) उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन (4) मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण (5) अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति (6) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठानों के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना को उन्नत करना।

- **आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी** – (7) गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना। (8) तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन (9) आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धि ऋण योजना (10) राज्य व केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती।

- **अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर की दशा में सुधार करना**– (11) ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी (12) अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलिन बस्तियों/क्षेत्रों की स्थिति सुधार

- **सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम व नियंत्रण** – (13) सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम (14) साम्प्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन (15) सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास

प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के 24 कार्यक्रम शामिल हैं। इन 24 कार्यक्रमों का 15 प्रतिशत लक्ष्य और बजट अल्पसंख्यकों के लिये होना चाहिये। अल्पसंख्यक मामलात विभाग इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। हांलाकि इस कार्यक्रम की निगरानी बैठ़क होती रहती है लेकिन 15 प्रतिशत लक्ष्य कम ही योजनाओं में पुरा हो पाता है।

बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP) : बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरु की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह एक क्षेत्र विकास पहल है, जिसे सामाजिक आर्थिक अधिसंरचना का सृजन करते हुए तथा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों की विकास सम्बन्धी कमियों को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। इसे वर्ष 2008–09 में देश के 90 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों (एमसीडी) में आरम्भ किया गया था। राजस्थान में यह योजना 8 जिलों के 10 ब्लॉक्स एवं 3 अल्पसंख्यक बाहुल्य कस्बों में लागू की गई है ।

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं सहकारी विकास निगम (एनएमडीएएफसी) : राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम की स्थापना राजस्थान सरकार व भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यकों के गरीब व्यक्तियों को जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 81000/– व शहरी क्षेत्रों में 103000/– रुपयों से कम हो, को स्वरोजगार एवं कार्यक्षमता उन्नयन हेतु रियायती ब्याज दर (6 प्रतिशत व्यवसायिक ऋण एवं 3 प्रतिशत शिक्षा ऋण हेतु) पर स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत व्यवसायिक ऋण एवं शैक्षणिक ऋण उपलब्ध कराने हेतु की गयी है।

तालिका–7 : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा अल्पसंख्यकों को राज्य चेंनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से स्व–रोजगार और आय सृजित करने के लिए रियायती दरों पर ऋण (करोड़ रु. में)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	2013–14		2014–15		2015–16		कुल	
	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
राजस्थान	40	4211	20	2275	20	1333	80	7819

स्रोत : कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा लोकसभा में दिनांक 27/07/2016 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–1731 के जबाब में श्री मुख्तार अब्बास नकवी (मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ेः http%//**164-100-47-190**/loksabhaquestions/qhindi/**9**/AU**1731**-pdf

तालिका–7 में दिए गये आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 2013 से 2016 तक कुल 7819 लाभार्थियों को लाभ पहुंचा है जिन पर इस समयावधि में मात्र 80 करोड़ रुपयों की सहायता प्रदान की गयी है।

अल्पसंख्यक समुदायों की सरकार से मांगे व सुझाव

बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र द्वारा राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ कार्य कर रहे समुदाय के लोगों, विशेषज्ञों, संस्थाओं के साथ बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान में अल्पसंख्यकों की स्थिति, उनसे संबंधित योजनाओं एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा की गयी। बैठकों में मुख्य तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, रोजगार, जेंडर तथा मानव अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गयी। इन बैठ़कों में निम्न सुझाव आये : –

- अल्पसंख्यक विभाग का बजट राज्य के कुल बजट का मात्र 0.1 प्रतिशत से भी कम है और पिछले कई वर्षों से इसी स्तर पर बना है। इसमें बढ़ोतरी की जाए।
- अल्पसंख्यकों के विकास हेतु राज्य में संचालित 15 सूत्री कार्यक्रमों के परिणामों की निगरानी की व्यवस्था कमज़ोर है। इस कार्यक्रम की निगरानी 20 सूत्री कार्यक्रमों की तरह मज़बूती से की जाये।
- अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को भी मिल सके, इसके लिये पर्याप्त उपाय किये जाने चाहिये।
- अल्पसंख्यक मामलात विभाग में समस्त रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए ताकि कार्यक्रमों और योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके।
- मदरसों की स्थितियों में सुधार कर उन्हें आधुनिक किया जाये। मदरसों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की भारी कमी है मदरसा–विद्यालयों की अकादमिक सहायता एवं निगरानी की प्रकिया बनाई जाये। मदरसों में अध्यापकों की कमी है और उनको मिलने वाला वेतन बहुत कम है, योग्य–मदरसा शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति की जाये। इसके अलावा मदरसों में आधारभूत संरचना में भी सुधार की जरूरत है।
- सरकार द्वारा चलायी जा रही अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृति योजना के अंतर्गत छात्र सीमा को हटा कर सभी अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृति का लाभ मिलना चाहिये।
- अल्पसंख्यक छात्रों को कोचिंग हेतु छात्रवृत्ति आदि योजनाओं का व्यवस्थित क्रियांवयन नहीं होने के परिणामस्वरुप समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। फ्री–कोचिंग के लिए जो सुविधा एस.सी. तथा एस.टी. के छात्रों को दी जाती है वही सुविधा अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाये।
- राज्य में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु व्यवस्थित नीति के अभाव में उर्दू शिक्षकों की भारी कमी के कारण इस विषय के अध्ययन से छात्र वंचित हो रहे हैं। अतः राज्य के विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाये ।
- केंद्र सरकार की घुमंतू सूची में कलंदर, मीरासी, फकीर जातियां भी घुमंतू जाति में आती हैं। लेकिन राजस्थान सरकार की घुमंतू जाति की सूची में इनका नाम नहीं है। सरकार द्वारा इनका नाम भी घुमंतू जाति की सूची में जोड़ा जाये। जिससे की घुमंतू जाति के वंचित लोग सरकार द्वारा चालायी जा रही योजनाओं का लाभ उठा सकें ।
- साम्प्रदायिकता का बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने है। आजकल खासकर मुस्लिम समुदाय के प्रति साम्प्रदायिकता का माहौल बना हुआ है। इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि समाज में अमन व शांति बनी रहे।

शोध एवं अध्ययन: बार्क टीम

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन/फैक्स : (0141) 2385254

E-mail : barcjaipur@gmail.com • Website : www.barcjaipur.org.